न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 84/2001

वादीगण		प्रतिवादीगण
1– अणची बेचा सविया उर्फ सिविया 2– लाबुराम पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया 3– रूकहाराम पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया 4– बाबूलाल पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया सभी जातियान भाम्बी (मेघवाल) निवासी पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर	**बनाम**	1– नेनाराम पुत्र अचलिया 2– करनाराम पुत्र अवलिया 3– तहसीलदार लूणी (भूमिधारी) जि. जोधपुर

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनोप सिंह
02. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह चम्पावत

आदेश **दिनांकः 02.07.2025**

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2002 को किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकरान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2025 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम पीपरली के खसरा संख्या 131 रकबा 23.0023 हैक्टेयर भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2025 मय मौका फर्द दिनांक 14.05.2025 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है । इनके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
01.	अणची पत्नि सविया उर्फ सिविया हिस्सा 1/8 अशोक, कालूराम, गोपाराम, तेजाराम, नेमाराम पि. लाबुराम, मंजू पुत्री लाबूराम हिस्सा 1/4, बाबूलाल पुत्र शिवाराम हिस्सा 1/4, रूकडाराम पुत्र सविया उर्फ सिविया हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	131	4.5324	बारानी IV	3.87
		131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	1.0805	बारानी IV	0.92
		131	1.0805	बारानी IV	0.92
		योग–5	11.2258	बारानी IV	9.56

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

02.	करनाराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/2 ओमाराम, चन्द्राराम, महेन्द्र, हड़मानराम पि. नेनाराम, खमना , गुडीदेवी, धन्ना ममतादेवी ,विमला, पुष्पा पुत्रिया नेनाराम मोरकी पत्नि नेनाराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	2.2662	बारानी IV	1.93
		131	1.0805	बारानी IV	0.92
		131	1.0805	बारानी IV	0.92
		योग–6	**11.2258**	**बारानी IV**	**9.56**
03.	समलाती रास्ते हेतु– जमाबंदी में दर्ज खातेदार बदस्तूर (संलग्न जमाबंदी अनुसार खातेदार)	131	0.5507	बारानी IV (सामलाती रास्ते हेतु)	0.47
		योग–1	**0.5507**	**बारानी IV**	**0.47**

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनों पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 12.06.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शें में तरमीम इन्द्राज करें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 14.05.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिक्री बगुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 84/2001

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1– अणची बेचा सविया उर्फ सिविया 2– लाबुराम पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया 3– रूकहाराम पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया 4– बाबूलाल पुत्र श्री सविया उर्फ सिविया सभी जातियान भाम्बी (मेघवाल) निवासी पीपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर		1– नेनाराम पुत्र अचलिया 2– करनाराम पुत्र अवलिया 3– तहसीलदार लूणी (भूमिधारी) जि. जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 44/2001 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ। उक्त वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी बंटवाड़ा मौका फर्द दिनांक 12.06.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग हिस्सा बट्टा नम्बर तथा तरमीम दर्ज करें। बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नही करावें तथा किसी अन्य से करावें।

नीज..मुबलिक...............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक........... ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.07.2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी